निग0 0059/2019/रीवा/भू०रा०

(105)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा मप्र0

रवीन्द्रनाथ तिवारी पिता स्व0 जगदीश प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम मनगवां तहसील व थाना मनगवां जिला रीवा मध्यप्रदेश
--निगरानीकर्त्ता

बनाम

1- जवाहर लाल त्यागी पिता स्व0 आर0के0 त्यागी निवासी वार्ड क्रमांक 10 इन्जीनियरिंग कालेज कालोनी रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा मप्र0

2- शीला त्यागी पिता श्री आर0 साकेत निवासी वार्ड क्रमांक-10 इंजीनियरिंग कालेज कालोनी रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा मप्र0

3- संतोष कुमार तिवारी पिता स्व0 जगदीश प्रसाद तिवारी निवासी वार्ड नम्बर 03 मनगवां तहसील मनगवां जिला रीवा मप्र0
--गैरनिगरानीकर्त्ता

अधि0 श्री प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा पेश
29-12-18

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 2.11.18 जो अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा (समक्ष श्री मधुकर अग्नेय) द्वारा प्रकरण क्रमांक-22/आवेदन/ 18-19 में पारित किया गया

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959

आदेश की प्रति प्राप्त दिनांक 10.12.18

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न है :-

1- यहकि निगरानीकर्त्ता के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायालय तहसीलदार तह0 मनगवां जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 26अ6/17-18 जवाहरलाल वि0 संतोष कुमार वगैरह के नाम से विचाराधीन है को अंतरित करानें हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29 मप्रभूरासं0 1959 के अधीन प्रस्तुत किया जिसमें पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करनें तथा अनावेदक के विधायिका होने के कारण पीठासीन अधिकारी के साथ तालमेल कर अन्यायपूर्ण कार्यवाही करनें तथा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों का निराकरण नहीं कर सीधे प्रकरण का अंतिम निराकरण करने की धमकी दी जाने के कारण प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित करने की सहायता चाही किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त ठोस एवं पुष्ट आधार मौजूद होने के बावजूद भी यह लेखकर कि प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया गया इसलिए आवेदन प्रचलनशील न होने के कारण ग्राहयता बिन्दु पर ही खारिज कर दिया गया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है जो स्वीकार योग्य है ।

निगरानी के आधार :-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्त योग्य है ।

2- यहकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण को अंतरित करनें के पर्याप्त आधार मौजूद होने के बावजूद भी ग्राहयता के बिन्दु पर ही आवेदन पत्र निरस्त करनें में महान कानूनी भूल की है जो निरस्त योग्य है , क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय तहसीलदार तहसील मनगवां जिला रीवा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की समस्त आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी थी जिससे यह उल्लिखित एवं प्रमाणित है कि निगरानीकर्त्ता

रवीन्द्रनाथ तिवारी

(105)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

(220)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.-0059/2019/रीवा/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-19 रीवा कैम्प	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पूर्व में उनके अधिवक्ता को समय-समय पर 3 बार पुकार लगवाई गयी, किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। अत: प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में समाप्त किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	